न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—43/2019 प्रार्थना पत्र
1—श्री लादूलाल पिता अमरचन्द्र कुमावत, उम्र बालिग निवासी बोरड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—श्री भगवान लाल पिता अमरचन्द्र कुमावत, उम्र बालिग निवासी बोरड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—कंकू बाई पत्नि अमरचन्द्र कुमावत, उम्र बालिग निवासी बोरड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—————प्रार्थीगण

बनाम

श्री कन्हैयालाल पिता सज्जन सैन, उम्र बालिग निवासी बोरड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—————विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—29.3.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—जस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बोरड़ा पटवार ल्का गठिलाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1077, 1076, 1479/1077 ल किता 3 रकबा 5 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी विवादित आराजियात के ड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये न सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की राजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.1.2019 को पंजीबद्व किया जाकर ये सम्मन विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल वली किये गये । विपक्षी को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित होने के कारण दिनांक 15.3.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया ।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते ब्जे काश्त. की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, काटते समय सीमा बाबत विपक्षी के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते ब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 त स्वीकार किया जाकर ग्राम बोरड़ा पटवार हल्का गठिलाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में हाल आराजी नम्बर 1077, 1076, 1479/1077 कुल किता 3 रकबा 5 बीघा भूमि की सीमा री के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये लेख निरीक्षक, आटूण को 500/—रूपये (पॉच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner